सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

23 मार्च, 2021

सप्तदश विधान सभा मंगलवार, तिथि 23 मार्च, 2021 ई॰

द्वितीय सत्र 02 चैत्र, 1943(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे ।

(व्यवधान)

श्री शकील अहमद खाँ ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आपका कार्यस्थगन आया हुआ है और वैसे भी आज वह सूचीबद्ध है, उचित समय पर उठाएंगे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

माननीय सदस्य, विधेयक की बातें विधायी कार्य के समय उठाइए । आज की कार्यसूची में यह संलग्न भी है, अभी प्रश्न होने दें, अपने स्थान पर बैठ जाइए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर जाइए ।

(व्यवधान जारी)

आप अपने स्थान पर जाकर बैठें, वहां से अपनी बात को रखें । माननीय सदस्य, विधेयक की बातें विधायी कार्य के समय उठाइए । यह तो आज की कार्यसूची में भी है अभी प्रश्न होने दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

आपकी कोई भी आवाज प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है आप अपने स्थान पर जाकर के बताइए ।

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 12.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-2/यानपति-अंजली/23.03.2021/

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम: महोदय, यह दल विरोधी कानून है और इस पर मेरा कार्यस्थगन और अभी इस पर बात करके इसको वापस लिया जाय महोदय...

अध्यक्ष: ठीक है ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण । माननीय सदस्यगण ।

(व्यवधान जारी)

ठीक है । बैठ जाइये, एक बार बैठ जाइये सब लोग । बैठ जाइये ।

आज दिनांक 23 मार्च, 2021 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राकेश कुमार रौशन, श्री मुकेश कुमार यादव, मोहम्मद इसराईल मंसूरी एवं श्री रणविजय साहू। श्री महबूब आलम, श्री मनोज मंजिल, श्री अरूण सिंह, श्री महानंद सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री गोपाल रविदास, श्री सत्यदेव राम, श्री अजय कुमार, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री सुदामा प्रसाद, श्री संदीप सौरभ, श्री राम विशुन सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान। आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

(व्यवधान जारी)

श्री मिथिलेश कुमार: (नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

श्रीमती शालिनी मिश्रा: माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण में जीविका दीदीओं की भी भूमिका है फिर भी वे समस्याओं से जूझ रही हैं । जीविका दीदीओं को पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा का लाभ, महिला कैडरों को विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश और हेल्थ इंश्योरेंस दिये जाने तथा मानदेय को दुगुना किये जाने की मांग करती हूं ।

(व्यवधान जारी)

श्री समीर कुमार महासेठ: (नहीं पढ़ा गया)

श्री अजीत शर्मा: (नहीं पढ़ा गया)

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: (नहीं पढ़ा गया)

श्री प्रणव कुमार: (नहीं पढ़ा गया)

श्री अखतरूल ईमान: (नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, टेबल से हटकर के आप लोग खड़े हों ।

श्रीमती भागीरथी देवी: माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर के ग्राम गोबरहिया दोन के लगभग 100 घर छह वर्ष पूर्व में भलूही नदी से कट जाने के बाद वहां के पीड़ित नौरंगिया दोन के कम्पाट (वन विभाग का हिस्सा) में रहने को विवश हैं ।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि विस्थापितों को स्थायी करने की कृपा करेंगे।

श्री अजय कुमार: (नहीं पढ़ा गया)

(इस अवसर पर विपक्ष के कुछ मा0 सदस्यों द्वारा रिपोर्टर्स टेबल को अव्यवस्थित कर दिया गया)

अध्यक्ष: सदा जी आप टेबल को उस तरह से अव्यवस्थित मत करिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण में ढाका से पकड़ीदयाल रोड एवं झौआराम से कुण्डवा चैनपुर रोड तथा चिरैया से भेलवा होते घोड़ासहन रोड, कस्वा कदमवा से ननौरा बाजार रोड काफी जर्जर के साथ दर्जनों दुर्घटनाओं का साक्षी बन चुका है । मैं सरकार से चारों महत्वपूर्ण पथों का निर्माण एवं चौड़ीकरण शीघ्र कराने तथा आवागमन बहाल करने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

श्री ललन कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के पीरपैंती प्रखंडान्तर्गत बाखरपुर में वर्ष 2016 में 381 घर आग लगने से जलकर राख हो गये थे । स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने की बात कही, परंतु किसी का घर नहीं बनवाया गया है ।

मैं सरकार से अग्निपीड़ितों का घर बनवाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर बैठ जाइए ।

श्री पवन कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर शहर के मध्य स्थित रेलवे अंडरपास भोलानाथ पुल में जल जमाव, आवागमन आदि की वर्षों से जन समस्या को देखते हुये सरकार से त्वरित पहल कर रेलवे एवं भागलपुर नगर निगम से मंजूरी दिलाते हुये जल्द भोलानाथ रेल ओवर ब्रिज एवं ड्रेनेज निर्माण करवाने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

श्री इजहारूल हुसैन: (नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्ष: आप सदा जी इस तरह से टेबल अव्यस्थित न करें । एक मिनट, माननीय सदस्य, अब सुनियेगा तब न, सुन लीजिये, माननीय सदस्य आज जिस विषय पर आप कर रहे हैं उसका अवसर मिलेगा, सूचीबद्ध है आप विषय रखेंगे वाद-विवाद में आप सरकार को भी घेरेंगे, सरकार भी अपनी बात रखेगी, आप भी रखेंगे ।

(व्यवधान जारी)

आज भी देखिये, प्रश्नोत्तर काल का हंड्रेड परसेंट जवाब आया है । ध्यानाकर्षण छह हैं, सात बिल हैं ।

(व्यवधान जारी)

क्या चाहते हैं कि सदन नहीं चले, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, प्रश्नोत्तर काल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल सब आप ही का है ।

(व्यवधान जारी)

अब सुन लीजिये, सुनिये न, पहले सुन लीजिये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, बैठ कर के अपनी बात कहेंगे तो सुनेंगे, सब एक साथ...

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, सत्यदेव बाबू एक बार सुन लीजिये, माननीय सदस्यगण, सुन लीजिये ।

(व्यवधान जारी)

समय पर न बोलियेगा, समय पर बोलियेगा, वह विषय आयेगा ।

(व्यवधान जारी)

तो अभी शांत रहेंगे तभी न आपकी बात को सुनेंगे, अभी अपने स्थान से बोलियेगा तभी आपकी बात प्रोसीडिंग में जाएगी ।

(व्यवधान जारी)

हम तो संरक्षण देने के लिए तैयार हैं लेकिन आप अपने स्थान पर जाएंगे तब न । अपने स्थान पर जाइये, वहां से अपनी बात रखिये ।

(व्यवधान जारी)

सुन लीजिये, माननीय सदस्य अब सुन लीजिये, सुन लीजिये, माननीय सदस्यगण, जितने भी प्रश्न आए, आज सब के जवाब थे सदन पटल पर भी हमलोगों ने उसको कहा है रखने...

(व्यवधान जारी)

सुन लीजिए, सुनिए तो आप सुधाकर जी, आप सुन लीजिए आपके हित की बात कह रहे हैं, सभी सदस्य सुन लीजिए, प्रहलाद जी, सुन लीजिए ।... जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों सदन पटल पर रख दिये जाएं, आज की सभी ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द की जाती हैं । शेष शून्यकाल से संबंधित सूचनाएं शून्यकाल समिति को भेज दी जायेंगी ।

टर्न-3/राजेश/23.3.21

(व्यवधान जारी)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017-18 का ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन'' एवं ''सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन'' तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' ''विनियोग लेखे'' तथा ''राज्य का वित्त'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सभा मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017-18 का ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन'' एवं ''सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन'' तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के

(इस अवसर पर मा0 सदस्य,डॉ0 सत्येन्द्र यादव ने माननीय उप मुख्यमंत्री,श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पढ़े जा रहे प्रस्ताव को छीनने का प्रयास किया)

''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'', ''विनियोग लेखे'' तथा ''राज्य का वित्त'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रम समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।''

अध्यक्ष : आपलोग इधर चले आयें । मार्शल, उनको इधर करवाइये, विपक्ष के वेल में ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017-18 का ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन'' एवं ''सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन'' तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'', ''विनियोग लेखे'' तथा ''राज्य का वित्त'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रम समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के परिणाम बजट पुस्तिका की प्रति सभा मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति सभा मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के जेंडर बजट पुस्तिका की प्रति सभा मेज पर रखता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-4/सत्येन्द्र/23-03-2021

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री तारकिशोर प्रसाद,उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के बाल कल्याण बजट पुस्तिका की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूॅं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लक्ष्मण रेखा पार न करें । माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

(व्यवधान)

श्री दामोदर रावत (सभापति, राजकीय आश्वासन समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का गृह विभाग से संबंधित 275 वां प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूॅं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सुनिये पूरी बात, सुनियेगा तब न । माननीय सदस्य सुनिये, आप शांति से सुनिये। एक व्यक्ति कोई विषय को रखिये तब माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे और अपने स्थान को पहले ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री । राजकीय संकल्प लिया जायेगा ।

विधायी कार्य

राजकीय संकल्प

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा संकल्प लेती है कि कवि कोकिल ''विद्यापति'' के नाम पर दरभंगा हवाई अड्डा का नाम ''विद्यापति एयरपोर्ट'' किये जाने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करे।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' यह सभा संकल्प लेती है कि कवि कोकिल..

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: महोदय, मेरा एक व्यवस्था का भी प्रश्न है । सदन में सभी माननीय सदस्य को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन माननीय सदस्यगण वहां से यहां आकर मंत्री के हाथ से कागज छीनने की कोशिश करते हैं । महोदय, यह सदन की अवमानना है । आप इसका गंभीर संज्ञान लें और इस संबंध में कार्रवाई करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' यह सभा संकल्प लेती है कि कवि कोकिल '' विद्यापति'' के नाम पर दरभंगा हवाई अड्डा का नाम ''विद्यापति एयरपोर्ट'' किये जाने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करे।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संकल्प स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: सभी दलीय नेताओं के साथ अभी अपने कक्ष में बैठक करेंगे । सदन की कार्यवाही 3 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-5/मधुप/23.03.2021

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

<u>विधायी कार्य</u>

<u>राजकीय विधेयक</u>

<u>बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, आज लाठी चार्ज हुआ, काफी कार्यकर्त्ताओं को पीटा गया ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नेता प्रतिपक्ष पर हमला किया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक आदमी बोलें, बाकी लोग बैठ जायं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आज लोहिया जी की जयंती है । लोहिया जी ने यह बताया था कि जब सड़क सन्नाटा हो जायेगा तो सदन और सरकार के लोग आवारा हो जायेंगे । आज लोहिया जयंती के अवसर पर जिस प्रकार का बिल पेश करने की कोशिश की जा रही है, यह तानाशाही रवैया सरकार अपनाने का काम कर रही है और यह एक काला कानून है । इसमें...

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, पूरी बात तो हो जाने दीजिये । पूरी बात सुन ली जाय । हड़बड़ी किस बात की है ? हड़बड़ी तो होनी नहीं चाहिये । जब समय है, जब सरकार के लोग अभी सुन रहे हैं..

अध्यक्ष : इसीलिये तो, अब आपका विषय आ गया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, पूरी बात सुन ली जाय ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हम सदन के सदस्य हैं, नेता विरोधी दल हैं । बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष : आप तो विषय रख दिये, विषय प्रवेश करा दिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, पूरी बात तो खत्म हो जाने दीजिये । आज हमलोग...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : पेश करें क्या ?

अध्यक्ष : शुरू करिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, यह काला कानून है । यह क्या तरीका है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लक्ष्मण-रेखा पार नहीं करें । महबूब साहब, अपने....(व्यवधान) प्रतिपक्ष के लोग अपनी तरफ रहें, सत्तापक्ष के लोग अपनी तरफ रहें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

प्रभारी मंत्री ।

(व्यवधान जारी)

विचार का प्रस्ताव

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ? नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप गलत कर रहे हैं, कार्रवाई होगी जो इस तरह से कर रहे हैं, अनिरूद्ध यादव जी, गलत कर रहे हैं ।

सदन की कार्यवाही 4:30 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-6/आजाद/23.03.2021

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री प्रेम कुमार ने आसन ग्रहण किया)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : अब सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है ।

अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए सूचीबद्ध कार्यों के समापन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

जनमत जानने का प्रस्ताव

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ऋषि कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : इसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री आलोक कुमार मेहता, मोहम्मद इसराईल मंसूरी, श्री राजवंशी महतो, श्री भरत बिन्द, श्री विजय कुमार एवं श्री मुकेश कुमार रौशन द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण आसन के समीप आ गये एवं माननीय सदस्य, श्री मो0 कामरान द्वारा सभापति महोदय से कागज छीनने का प्रयास किया गया)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं । आप गलत काम कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : इसमें माननीय सदस्य श्री अली अशरफ सिद्दिकी एवं श्री विजय कुमार द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अली अशरफ सिद्दिकी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : प्रश्न यह है कि

‘‘बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021’’ पर विचार हो ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड-2, 3, 4 एवं 5 में कोई संशोधन नहीं है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : प्रश्न यह है कि

खंड-2, 3, 4 एवं.......

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 5.30 बजे अप0 तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-7/शंभु/23.03.21

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर सभापति श्री नरेन्द्र नारायण यादव द्वारा आसन ग्रहण करने का प्रयास किया गया परंतु माननीया सदस्या श्रीमती अनीता देवी एवं कुछ अन्य मा0 महिला सदस्याओं द्वारा अवरोध पैदा किया गया)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) (खड़े-खड़े) : अब सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-8/ज्योति/23-03-2021

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

जिन भी माननीय सदस्यों ने नियम के विरुद्ध टेबल पर चढ़ कर तोड़ फोड़ की है उन सब पर कार्रवाई की जायेगी ।

विधायी कार्य

बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड -2, 3, 4 एवं 5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-2,3,4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2,3,4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब जिनको मार्शल के रुप में भेजे थे वे बाहर रहें, सिर्फ मार्शल अंदर रहेंगे।

खंड-6 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-6 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में 4 संशोधन है, क्या माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-7 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड -7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-8 में दो संशोधन है, क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-8 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-9 में एक संशोधन है क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-9 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-10 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-10 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-11 में दो संशोधन है, क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-11 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-12 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-12 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-13 एवं 14 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-13 एवं 14 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-13 एवं 14 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-15 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-15 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-15 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं 23 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं 23 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं 23 इस विधेयक का अंग बना ।

अनुसूची I एवं II में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" अनुसूची I एवं II इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची I एवं II इस विधेयक का अंग बनी ।

अनुसूची III में दो संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"अनुसूची III इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची III इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" नाम इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

टर्न-9/पुलकित-अभिनीत/23.03.2021

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे सदन में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है । इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के विकास एवं व्यापक हित में वर्तमान में कार्यरत बिहार सैन्य पुलिस को एक समर्पित, कुशल प्रशिक्षित, पूर्णतः सुसज्जित और बहुज्ञानक्षेत्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में विकसित करना है । बिहार की तीन राज्यों के साथ सीमा है और नेपाल के साथ लंबी अंतराष्ट्रीय सीमा भी जुड़ी हुई है । इस परिप्रेक्ष्य में एक सशक्त सशस्त्र बल से राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सकेगा । पिछले एक दशक से राज्य की केन्द्रीय पुलिस बलों पर निर्भरता में वृद्धि हुई है । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष, 2010 में केन्द्रीय पुलिस बलों की 23 कंपनियां कार्यरत थीं, जो वर्ष, 2020 में बढ़कर 45 हो गयी। राज्य के सशस्त्र पुलिस के संगठित विकास से इस निर्भरता को कम किया जा सके, जिससे राज्य के आर्थिक बोझ में कमी आयेगी तथा स्थानीय नागरिकों को नियोजन के अधिक अवसर प्राप्त होंगे ।

महोदय, जो केंद्रीय दल हमलोगों के यहां आते हैं उसका खर्चा भी राज्य को वहन करना पड़ता है और दूसरे राज्य के लोग आते हैं, तो इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और नौजवानों को इसमें रोजगार भी मिलेगा इस विधेयक के द्वारा । महोदय, बिहार एवं अन्य राज्यों की पुलिस व्यवस्था में पूर्व से ही दो भागों में विभक्त है, क्रमशः जिला पुलिस बल, सशस्त्र पुलिस बल । बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 पारित होने से पूर्व, जिला पुलिस थानों में तैनात पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा शासित थे और सैन्य पुलिस के कर्मी, बिहार राज्य में यथा लागू बंगाल मिलिट्री पुलिस अधिनियम, 1892 द्वारा शासित होते थे । महोदय, पहले से ही दो भागों में विभक्त है । लगभग एक शताब्दी के अपने सुविख्यात अस्तित्व के दौरान, बिहार सैन्य पुलिस ने अपनी कार्यपद्धति, बटालियन आधारित संगठनात्मक ढांचे, इत्यादि के आधार पर जिला पुलिस बल से पृथक पहचान एवं कार्य संस्कृति विकसित की है, जिसके दृष्टिपथ अलग पहचान बनाये रखना आवश्यक है, साथ ही बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 मुख्यतः जिला पुलिस बल से संबंधित है और इसके क्रियान्वयन से यह महसूस किया गया कि सैन्य पुलिस बल के सुचारू संचालन एवं विकास के लिए अलग अधिनियम की आवश्यकता है । यह विधेयक बिहार राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं एवं भविष्य की संभावनाओं के दृष्टिपथ पर तैयार किया गया है ।

विधेयक की धारा 3(1) के अनुसार विशेष सशस्त्र पुलिस लोक व्यवस्था का संधारण, उग्रवाद से मुकाबला, विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों का बेहतर संरक्षण और सुरक्षा, इस तरह सुनिश्चित करेगी जैसा कि अधिसूचित हो और साथ ही ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो सरकार द्वारा नोटिफाईड हों, अपने मन से नहीं । जो एक अफवाह फैलायी जा रही है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी, महोदय, पुलिस में यह अधिकार पहले से ही निहित है लेकिन इसमें शो नहीं है, सरकार जहां डिप्यूट करेगी, सरट्रेन, मैंने जो जिक्र किया वही और जो अधिकार उनको देगा उसी का वह प्रयोग करेगी ।

महोदय, बिहार तीव्रता से विकसित होता राज्य है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बोधगया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर, दरभंगा हवाई अड्डा आदि की

सुरक्षा बिहार सैन्य पुलिस को सौंपी गई है । वर्ष, 2017 में इसी उद्‌देश्य से राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर बिहार सैन्य पुलिस के अधीन राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल- 1 और 2 के नाम से दो वाहनियों का सृजन किया गया, 2017 में ही । इन बलों को सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठान जैसे उक्त वर्णित संस्थान, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों की सुरक्षा हेतु तैनाती के पूर्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर शक्ति दी जानी आवश्यक है । इन बलों की तैनाती से राज्य में पूंजी निवेश, औद्योगिक विकास, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के स्थलों एवं पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं सुरक्षा को बल मिलेगा । महोदय, जैसे बिहार में अपना इथेनॉल के उद्योग को खोलने के लिए पहला कानून बना है बिहार में और इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी वहन करनी पड़ेगी सरकार को । इन बलों को उसके लिए भी लगाया जायेगा और इसके लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जा रहा है। बिहार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 11, 12 एवं 13 के अनुरूप विशेष सशस्त्र पुलिस के अधिकारियों को विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान की सुरक्षा हेतु बिना वारंट के गिरफ्तारी एवं तलाशी की शक्ति धारा 7, 8 एवं 9 के माध्यम से प्रदान करता है । आप सभी अवगत हैं कि बिना वारंट गिरफ्तारी एवं तलाशी की शक्ति सभी राज्यों के जिला पुलिस को अपने पूरे क्षेत्राधिकार में पूर्व से ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी0आर0पी0सी0) की धारा 41, 165 आदि में प्रदत्त है, कोई नई चीज नहीं है, पहले से ही है मान लीजिये महोदय, कोई क्राईम कर के भाग रहा है तो क्या पुलिस इंतजार करेगी कि हमको वारंट मिलेगा तब उसे गिरफ्तार करेंगे, तो यह अधिकार पहले से ही निहित है ।

विधेयक में बिना वारंट तलाशी एवं गिरफ्तारी के प्रावधान विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न आपातिक परिस्थितियों की परिकल्पना करते हैं, जिसमें तैनात विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी बिना समय गंवाये अपराध घटित होने के पूर्व किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और ऐसे अपराध को घटित होने से रोक सकता है । अतः इन प्रावधानों का उद्‌देश्य विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों से संबंधित संज्ञेय अपराध को रोकना एवं जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित

करना है । विधेयक की धारा- 8(2) में यह उपबंधित है कि तलाशी के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान लागू होंगे, जिससे नागरिकों को प्राप्त सभी अधिकार अक्षुण्ण रहेगी । जैसा कि द0प्र0स0 (सी0आर0पी0सी0) की धारा 51(2) के आलोक में जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तो ऐसी तलाशी में शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ही की जायेगी । इस शक्ति के दुरूपयोग को रोकने के लिए विभागीय दंड के अतिरिक्त विधेयक की धारा 11 एवं 12 में कड़े दंड के प्रावधान किये गये हैं । अगर आप इस निर्देश का उल्लंघन करेंगे, इस विधेयक में जो शक्ति प्राप्त है, तो दंड का भी प्रावधान किया गया है । बिहार सैन्य पुलिस को इस विधेयक द्वारा सौंपे जा रहे उपरोक्त वर्णित नये कार्यों एवं प्रदत्त शक्तियों तथा सभी राज्यों द्वारा सशस्त्र बलों के लिए उपयोगी किये जा रहे नाम के आलोक में बिहार सैन्य पुलिस को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रूप में पुनर्नामांकन किया जाना उपबंधित है । सैन्य पुलिस का ही पुनर्नामांकन हुआ है क्यों इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है, काला कानून वापस लो यह समझ से परे की बात है बिना पढ़े महोदय, दुर्भाग्य है कि विपक्ष इतना ज्ञानहीन है, यह कभी लोकतंत्र के लिए अच्छी बातें नहीं हैं, इनको पढ़ना चाहिए और विधेयक पेश होने पर पूरी डिबेट में भाग लेना चाहिए और तब सरकार के जवाब के बाद कोई उत्पति उनको हुई तो उसको उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं ।

आप अवगत हैं कि केन्द्र एवं राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों का गठन अर्द्धसैनिक बलों के मापदण्ड के आधार पर किया गया है । इन सशस्त्र पुलिस बलों को उग्रवाद एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित कठिन क्षेत्रों एवं परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और अधिक भार करने वाले शस्त्रों वेल एक्यूड होते हैं महोदय, आधुनिक शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता है इस आलोक में सशस्त्र पुलिस बलों का अनुशासन स्तर जिला पुलिस की अपेक्षा उच्च स्तर का रखा जाता है । इसी कारणवश बंगाल मिलिट्री पुलिस अधिनियम, 1892 की धारा 5 एवं 6 के अनुरूप इस विधेयक की धारा 11 एवं 12 में दंड के यह कड़े प्रावधान किये गये हैं । दंड संबंधी प्रावधान सशस्त्र बलों में विद्रोह, देशद्रोह, घोर अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता आदि से

संबंधित है और यह दंड सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाये रखने के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है महोदय, कि बिहार पहला अन्य राज्यों में जैसा मैंने बंगाल का जिक्र किया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के सशस्त्र पुलिस अधिनियम के अतिरिक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यथा–केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल आदि में भी दंड का प्रावधान इसी अनुरूप है । महोदय, उसी अनुरूप यह विधेयक है ।

महोदय, इस विधेयक के तहत कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी अगर अपराध करता है तो किये गये अपराध का संज्ञान न्यायालय, सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी की लिखित रिपोर्ट एवं मंजूरी पर लेगा, क्योंकि अपराध बलों के आंतरिक घोर अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता से संबंधित हैं, लेकिन इस विधेयक के अतिरिक्त अगर कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी किसी अन्य अधिनियम जैसे भा0द0वि0 आदि के अंतर्गत अगर अपराध करता है तो उसे किये गये अपराध के लिए इस विधेयक से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा और उसके विरूद्ध विधि–सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी जैसे आम आदमी को है महोदय, कोई स्पेशल पावर इसको नहीं है।

महोदय, जैसा कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है, इस विधेयक द्वारा किसी नये पुलिस बल के गठन का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि पिछले 129 साल से कार्यरत बिहार सैन्य पुलिस को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रूप में पुनर्नामांकित करते हुए सुदृढ़ और बहुज्ञानक्षेत्रीय सशस्त्र बल बनाने के लिए लाया गया है । महोदय, एक तरफ विरोधी दल के लोग कहते हैं अभी नहीं है कांग्रेस के, आपको याद होगा दूबे जी ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि पुलिस के पावर में संशोधन होना चाहिए और जब संशोधन होने लगा तो कहते हैं कि काला कानून । कहते हैं कि सरकार के संरक्षण में अपराध होता है और अपराध को नियंत्रित करने के लिए विशेष पुलिस बल का गठन होता है तो पता नहीं क्यों इनको चिड़चिड़ाहट होती है, क्यों इनको परेशानी होती है। मुख्य रूप से महोदय, अपराध से ये फायदा उठाना

चाहते हैं इसीलिए अपराध के नियंत्रण में आम लोगों की सुरक्षा से इनका कोई हित नहीं है ।

अतः प्रस्ताव है कि सदन में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाय ।

अध्यक्षः नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 के बारे में कुछ चीजों को संक्षेप में कह दिया गया है, लेकिन यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गयी और यह बात समझ में नहीं आई कि कोई भी अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं किसने समझाया, किसने इन चीजों को बताया ? यह पूरा का पूरा किया जा रहा है । बी0एम0पी0 (बिहार मिलिट्री पुलिस) नाम उपयोगी नहीं है, इसका नामकरण, इसलिए इसका नाम, और दूसरी सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था इसको बदलकर बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल अब इसका नामकरण किया गया और इसके अलावा कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है । अभी इन लोगों ने बताया सबसे बड़ी बात देख लीजिये कि बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास क्या घटना घटी थी 2013 में ? और कैसी भयंकर घटना घटी थी, किस तरह से वह बचा था । हमलोग तो तुरंत सुबह जाकर के वहां पर एक एक चीज को देख रहे थे और सारा काम किया उसकी पूरी की पूरी बाउंड्री और एक-एक चीज बनाई ।

...क्रमशः ...

टर्न-10/हेमन्त-धिरेन्द्र/23.03.2021

...क्रमशः...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : कितनी बार, कितने साल जा-जाकर एक-एक चीज को हमने देखा है और कैसे किया जाय और उसके बाद वहां की सुरक्षा के लिए बी0एम0पी0 को ही डिप्यूट किया गया । अब आप देख रहे हैं और इसके बारे में जो इन्होंने बता दिया दरभंगा में ये काम को जो सौंपा गया है, एयरपोर्ट जो वहां पर बना है, तो ये सब काम

और अन्य प्रकार की जिन बातों की चर्चा की गयी कि कई प्रकार के काम में इनको लगाया जा सकता है वहां की सुरक्षा में । अब जब किसी चीज को, पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं-कोई सुरक्षा में या देखभाल के लिए लगायेंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे ? क्राइम करेगा तो उसको पकड़कर नहीं आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसिज्योर है उसके मुताबिक आगे बढ़ाइयेगा । छोड़ दीजियेगा ? यानी कोई गया है सुरक्षा के लिए और वहां पर मान लीजिए कोई फायरिंग शुरू करेगा, तो उसको काऊंटर नहीं करेगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, तो क्या करेगा कि ये कर रहे हैं, तो हम परमिशन लेंगे कोर्ट से, तब इनको गिरफ्तार करेंगे ? ये कैसी भावना है और मुझे तो आश्चर्य होता है। हमने कहा है अपने विभाग को भी और एक बात जब इसके बारे में जब सुनें कि इसके बारे में पूरी चर्चा पहले कभी डिस्कशन हुआ था, एक-एक बात हमने तीन घंटा बैठकर, एक-एक चीज को देखा है कि कहीं कोई कमी और कोई दिक्कत तो नहीं है और जब इस बात को कहा तो हमने तो बता दिया था उस समय डी0जी0पी0 को और जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं होम डिपार्टमेंट के, इन सब लोगों को हमने कहा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार कौन कर रहा है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और उसी में से किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही के बीच में रहने वाला आदमी और कहीं वह तो प्रचारित नहीं करवा रहा है ? कहीं लोगों को गुमराह वह तो नहीं कर रहा है और हमने जो देखा कि कई लोगों का, अभी आया ही है और तुरंत डिटेल में लिखे हुए है, पढ़े थे ? हम तो चाहते थे कि लोग डिबेट करते, उस समय हम भाग लेते और एक-एक बात हम पूछते कि आप कब पढे हैं और क्या देखा है, इसका अर्थ क्या है और आज भी जब आपने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पढ़-पढ़कर एक-एक चीज को सुनाया गया, तो किसी ने देखा है ठीक से ? इससे बढ़कर गलत बात कोई हो ही नहीं सकती है, अगर किसी को किसी के संरक्षण की भूमिका आप देंगे और सिर्फ संरक्षण की भूमिका में वहां पर खड़ा रहेगा ? और कोई आकर अपराध करेगा, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और आप जानते हैं कि सारा का सारा ये लोग करने के बाद ये तो हवाले कर देंगे थाने को, तो

इस तरह से एक-एक चीज का प्रावधान है और इसके अलावे जान लीजिए जितना सामान्य पुलिस में जिस तरह की कार्रवाई अगर गड़बड़ी करने पर नहीं है, उससे ज्यादा कार्रवाई इन लोगों ने की है इस मामले में कि अगर कोई अपने अधिकार को ठीक ढंग से नहीं निभाता है, तो इस पर हम क्या-क्या कार्रवाई करेंगे । संक्षेप में एक-एक बात की इन लोगों ने चर्चा कर दी है । मैं तो चाहता था कि लोग भाग लेते और बोलते, तो जवाब भी दिया जाता औपचारिक रूप से और हम तो बीच-बीच में एक-एक प्रश्न पूछकर हम जानना चाहते थे । ये किस तरह की बात हो रही है और वैसे एक और बात है मैं समझता हूं, मैं स्वीकार करता हूं आपके सामने कि ये काम चाहिए था अधिकारियों को कि कानून, जब इसका रूप हो रहा था, तो इसके बारे में डिटेल प्रेस के सामने पूरी चर्चा कर देनी चाहिए थी कि आखिर क्या काम किया जा रहा है । अगर ये चर्चा कर दी जाती तब कोई इसको लेकर गुमराह नहीं किया जाता, तो जब ये पेश हो गया था, तब हमने पूरी बात को देखा, तो हमने उस दिन भी कहा था कि इन सब चीजों को तो पूरी डिटेल में बता देना चाहिए, तो ये सब काम तो करते रहते हैं लेकिन अब दायित्व है, बन गया, केबिनेट ने पास किया और केबिनेट में जब गया तो केबिनेट में पूरी डिटेल में होम सेक्रेटरी ने पूरी बात को, जो अपर मुख्य सचिव होम डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने पूरी बात बतायी थी और हमने कहा था कि एक-एक बात सब लोगों को बताइये, तो एक-एक चीज को बताया गया। आ गया, कानून आकर यहां पर पेश हुआ और जैसे ही पेश हुआ उस दिन से क्या हो रहा है ? सामान्यत: चर्चा में भाग लेना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है और किस तरह से यहां पर खड़े होकर जो करवाया गया, यहां पर खड़े होकर जो करवाया गया, क्या तरीका है ये ? आज तक इतने दिनों से, मैं भी विधायक रहा हूं 85 में और 89 में हम लोकसभा में चले गये, उस समय और पिछले चौथे टर्म में हम यहां काम देख रहे हैं और इस प्रकार का दृश्य हमने नहीं देखा आज तक विधान सभा में कि ऐसा कोई दृश्य होता है और इस प्रकार से काम करने की कोशिश होती है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो फोटो देख रहे थे बाहर, कौन-कौन लोग, नये लोग जो चुनकर आये हैं, मैं तो आपसे आग्रह करूँगा कि एक बार कम-से-कम जितने नव-निर्वाचित विधायक हैं, उन सबों के बीच

में नियम और कानून और क्या होता है, विधान सभा की सारी जो स्थिति है, क्या करना चाहिए ? इन सब चीजों के बारे में भी एक जरूर ट्रेनिंग का काम करवा देना चाहिए, ताकि लोगों का काम हो । वैसे तो हमलोगों का फर्ज है, कर्तव्य है कि एक-एक चीज को बता दें और अगर किसी को लगता है कि यह चीज ठीक नहीं है, जैसा करे, वैसा करे । आदमी का तो अपना-अपना स्वभाव है और राजनीति करने वाले जो दल होते हैं, कई ढंग से, अपने-अपने ढंग से निर्णय लेंगे, वह अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से यह कितना बड़ा इफेक्टिव है और विधान सभा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बहुत लोग हैं, कर सकते हैं, कई तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए । डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी और हमलोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक-एक बात को लेकर स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है । इसलिए किसी को जब काम दिया जायेगा, तो अधिकार नहीं दिया जायेगा और जब अधिकार दिया जा रहा है और अनिश्चित अधिकार नहीं दिया जा रहा है, यही नहीं है कि सब कुछ वही करेंगे जो पुलिस का काम है, वह पुलिस करेगी, लेकिन संरक्षण के काम में जब लगाया जाता है, तो उनकी जो प्रारंभिक जिम्मेवारी है और उनको जो दायित्व दिया जाता है, उसका वह ठीक ढंग से निर्धारण नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है । यह सब एक्ट में प्रावधान है, तो एक-एक चीज को जानना चाहिए, इस पर ठीक से डिबेट करनी चाहिए । मैं समझ नहीं पाया हूँ, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूँ कि इन सब चीजों की चर्चा करना, अब कोई भी काम कोशिश में होंगे कि नहीं हो बहुत अच्छा, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए और आपका अभिनंदन करता हूँ कि नहीं, चाहे जितना देर जो भी विवाद करना हो, करते रहिये, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, आपने निर्धारित किया था, उस चीज को हम पूरा करेंगे, चाहे इसके बीच में जितनी बाधा आये, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके बारे में गलतफहमी है, यह बहुत उपयुक्त है और यह जान लीजिये कि दुनिया इस देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के जो कानून हैं, उससे अलग किस्म का नहीं है, वही सब चीज है, यह कोई नहीं है कि

बिहार में इस तरह की कोई चीज की गयी है । इसलिए इन चीजों को जरा जानना चाहिए और अन्य राज्यों में कुछ है तो आप उसको पढ़ लीजिये और तब जानिये कि अन्य राज्यों में है, इस तरह से जब कराया गया है आपको, यह सब कुछ जो इनके लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और उसका जो विधेयक लाया गया । इसलिए इन चीजों को ठीक ढंग से जानना और समझना चाहिए और पूरे सदन की कार्यवाही में ठीक ढंग से लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। अपनी बात पूरी बुलंदी से कहनी चाहिए, लेकिन उसका उत्तर भी सुनना चाहिए और अगर उत्तर सुनने का मन नहीं था, तो नहीं सुनते । अपनी बात कहते, लेकिन इस प्रकार से बिना कोई बात किये, इस तरह की एक्टिविटी करना, ये कैसा है, ये कौन-सी एक्टिविटी है? किस प्रकार से इन चीजों को सही कहा जा सकता है, इसलिए आपने इन सब चीजों के बावजूद पूरी कार्यवाही को तय किया कि जो भी आज की कार्यवाही है, हम उसको पूरा करेंगे । इसके लिए आपने इस काम को किया है, चाहे जितनी देर हो और आज आप बताइये, आज आपने कार्यक्रम रख दिया है लोग भूल गये हैं । विधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों के लिए आपने जो प्रबंध किया है आज, कार्यक्रम भी है, गीत का भी कार्यक्रम है, अन्य प्रकार के भी कार्यक्रम हैं और सबके लिए बहुत अच्छे ढंग से भोजन का भी कार्यक्रम है, तो इसको भी भूल गये लोग । ये तो आप लोगों की तरफ से सबकी इज्जत, सबका सम्मान करने का प्रबंध किया जाता है, लेकिन आपको किस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई है, यह सब ठीक नहीं है, लेकिन जो हुआ, जो हुआ और ये जो कानून है, इसके बारे में संक्षेप में बता दिया गया है और इसको पूरे तौर पर, मैं यही आग्रह करूँगा कि एक बार गौर से पूरे तौर पर पढ़ लीजिये और हाउस में जो प्रोसीडिंग में इन सारी चीजों को डाला जा रहा है, इन चीजों को देख लीजिये और उसके बाद आपको इस बात का अहसास होगा कि यह ऐसा कानून नहीं है, जो लोगों को कष्ट में पहुँचाने वाला है, बल्कि लोगों की रक्षा करने के लिए है, लोगों के हित में यह होगा । इन्हीं शब्दों के साथ आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 स्वीकृत हो । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-11/संगीता-सुरज/23.03.2021

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खण्ड-2 में तीन संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्यगण इस बात से आप अवगत होंगे कि राज्य में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 5, 2006) लागू किया गया था । इस अधिनियम द्वारा राज्य के राजकोषीय घाटे और ऋण उगाही की अधिसीमा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती रही है और उसी के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाता रहा है । महोदय, वर्ष 2019 के उत्तरार्ध तथा वर्ष 2020-21 के आरंभ से ही कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण से पूरे विश्व में अप्रत्याशित रूप से स्वास्थ्य संबंधी संकट पैदा हुआ, जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है । इस वैश्विक महामारी का सामना राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार ने बहुत ही सक्रियता से किया एवं इसकी रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं । कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण रोजगार, कारोबार, व्यापार, उत्पादन एवं सेवा इत्यादि संबंधी क्रियाकलापों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है । अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 महामारी से एक ओर राज्य के राजस्व संसाधन में कमी हुई वहीं दूसरी ओर राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि हुई । भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण राजस्व संसाधन में हुई कमी को कम करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संशोधित ऋण अधिसीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का पांच प्रतिशत किया गया है अर्थात सामान्य अधिसीमा 3 प्रतिशत के अतिरिक्त 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसमें एक प्रतिशत बिना शर्त के एवं एक प्रतिशत सशर्त है । एक प्रतिशत की सशर्त सीमा चार सुधारों से संबंधित है । प्रथम,

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली । दूसरा, इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार । तीसरा, शहरी नागरिक सुविधाओं में सुधार । चौथा, ऊर्जा प्रक्षेत्र के सुधार । अध्यक्ष महोदय, ऋण अधिसीमा में दो प्रतिशत की वृद्धि, कुल 12 हजार 922 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण उगाही की सुविधा उपलब्ध करायेगी । चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चार सुधारों में विद्युत प्रक्षेत्र सुधारों को पूरा कर लिया है और भारत सरकार द्वारा दो प्रतिशत के अतिरिक्त ऋण उगाही के अन्तर्गत कुल 6 हजार 785 करोड़ रुपये की सहमति दी गई है । महोदय, अतिरिक्त ऋण उगाही से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य के विकासात्मक एवं पूंजीगत कार्यों में किया जा रहा है ताकि एक ओर राज्य के परिसंपत्ति का सृजन हो और दूसरी ओर रोजगार सृजन करे ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अवगत होंगे कि राजकोषीय घाटे की सीमा तक कि ऋण उगाही राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है । ऋण उगाही की अधिसीमा प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को उनके निर्धारित ऋण उगाही की 3 प्रतिशत की अधिसीमा के अतिरिक्त 2 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है । महोदय, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत अतिरिक्त ऋण उगाही में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत शर्तों के अधीन रखा गया है । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2021 को ध्वनि मत से पारित करने की कृपा की जाय ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री ललित कुमार यादव, श्री मुकेश कुमार रौशन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में दो संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-1 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-12/मुकुल-राहुल/23.03.2021

अध्यक्ष: प्रस्तावना में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मैं सदन से इसलिए कहता हूं कि इसको स्वीकृत करे कि आपने देखा होगा कि यह बहुत ही छोटा विधेयक है, बल्कि इसमें एक ही खंड है और पुराने विधेयक में एक छोटे संशोधन को लेकर सरकार की तरफ से हम सदन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि यह जो बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् है शिक्षा मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसमें एक उपाध्यक्ष का पद होता है, जिनकी दोनों तरह की जिम्मेवारी होती है। वह शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षाविद् भी होते हैं और थोड़ा प्रशासनिक मामला भी देखते हैं और इस तरह के लोग, इस योग्यता के लोग, इस दक्षता के लोगों को मिलने में, खोजने में कठिनाई होती है और कभी-कभी मिल जाते हैं तब फिर उनके प्रतिस्थानिक

को खोजने में कई बार दिक्कतें आई हैं तो यह प्रस्ताव, यह संशोधन मात्र इसलिए किया जा रहा है कि अगर सरकार की तरफ से किसी उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और उनका कार्यकाल संतोषजनक ही नहीं, बल्कि अच्छा रहा है तो इसके माध्यम से सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह अच्छे, योग्य और दक्ष उपाध्यक्ष को एक और कार्यकाल के लिए हम नियुक्त कर सकेंगे, इसी छोटे मकसद से यह संशोधन बिल हमने लाया है और हम सदन से दरख्वास्त करते हैं कि यह उच्चत्तर शिक्षा के हित में है, सरकार बड़ी साफ मंशा से ला रही है, इसलिए इसको स्वीकृत करने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री राकेश कुमार रौशन, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री ऋषि कुमार एवं श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूं । खंड-2 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में तीन संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021 स्वीकृत हो ।"

मैं इसकी स्वीकृति के लिए सदन से इसलिए दरख्वास्त करता हूं कि इसमें दो-तीन बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण कानून इस विधेयक के माध्यम से हम बना रहे हैं । महोदय, आसन और सदन दोनों अवगत हैं कि बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, खासकर के वर्ग तीन की जो नियुक्तियां होती थीं जिसे क्लेरिकल ग्रेड में या इससे जुड़े अन्य जो पद होते हैं उसमें पारदर्शिता का बिल्कुल अभाव होता था, यूनिवर्सिटी के स्तर पर कभी वाइस चांसलर के माध्यम से या कभी फिर दूसरे नियम के तहत, कभी

महाविद्यालय में ही कर लिया जाता था, कभी विश्वविद्यालय को रैफर कर दिया जाता था । इस तरह से उसमें अनेक तरह की डिस्क्रेपेंसीज थी और पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो तृतीय श्रेणी या जो ग्रुप सी है, उसकी नियुक्ति होगी उसके लिए सरकार अलग से एक आयोग बनाएगी और उसी आयोग के माध्यम से वर्ग तीन की नियुक्तियां होंगी, साथ ही महोदय, सदन अवगत है कि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए एक बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग बना है वहां शिक्षक की, जो वहां शिक्षक की जो परिभाषा रखी गई है उसमें प्रधानाचार्य उससे अभी तक बाहर रह गए हैं, छूट गए हैं जिसके कारण विश्वविद्यालय आयोग को प्रधानाचार्य की नियुक्ति में कठिनाई हो रही है इसलिए शिक्षक की परिभाषा संशोधित करते हुए हम शिक्षकों की परिभाषा के दायरे में प्रधानाचार्य को भी ला रहे हैं जिससे कि अलग-अलग महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से हो सकेगी, साथ ही जो प्रधानाचार्य का कार्यकाल 5 साल का दिया गया है महोदय, वह अभी तक एक बार का ही प्रावधान दिया गया है । इसमें हम एक नया प्रावधान यह भी कर रहे हैं विश्वविद्यालय एक कमेटी बनाएगा और वह कमेटी अगर संतुष्ट है कि प्रधानाचार्य ने अपने पहले कार्यकाल में अच्छा काम किया है, महाविद्यालय का विकास किया है, पठन-पाठन में रुचि ली है, तो उनके एक कार्यकाल की अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है इसका प्रावधान हम लोगों ने किया है इसलिए ये दोनों-तीनों प्रावधान न सिर्फ बल्कि उच्चत्तर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यक भी हैं इसलिए हम सदन से अनुरोध करते हैं कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-13/यानपति-अंजली/23.03.2021

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

"पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्षः यह पुरःस्थापित हुआ । विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री राकेश कुमार रौशन, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री ऋषि कुमार, द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

इसमें माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में तीन संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में तीन संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

"खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

"खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो"

महोदय, इसमें मूल रूप से वही तीन बातें हैं । तीन तरह के प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से सरकार करना चाह रही है जिसकी चर्चा पिछले जो बिहार के अलग-अलग विश्वविद्यालय हैं उनके संबंध में जो हमने प्रावधान किया है जैसे पहला जो हमने कहा पटना यूनिवर्सिटी के जो अंगीभूत महाविद्यालय हैं उनमें वर्ग-3 की जो नियुक्तियां अभी तक होती रही हैं उनमें न कोई पारदर्शिता थी और न कोई उसका स्पष्ट नियम था । सरकार ने फैसला लिया है कि जैसा हमने पहले के विधेयक में कहा था कि अन्य विश्वविद्यालयों की तरह ही पटना विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ग-3 की नियुक्ति हम एक नये आयोग का गठन करके आयोग के माध्यम से करेंगे । महोदय, एक तो प्रावधान यह है दूसरा, प्रावधान जो पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है उसको जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है उसमें शिक्षक की परिभाषा में प्रधानाचार्य नहीं आ रहे हैं, वे छूट गए हैं जिससे विश्वविद्यालय सेवा आयोग को प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है इसलिए शिक्षक की परिभाषा में प्रधानाचार्य को भी सम्मिलित किया जा रहा है और तीसरा, जैसा कि हमने कहा था कि अगर कोई प्रधानाचार्य अभी उनका कार्यकाल पांच वर्ष का है, अगर उनका कार्यकाल संतोषजनक पाया जाएगा, संस्थान के हित में होगा, उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने में उनका योगदान होगा तो उनका कार्यकाल एक टर्म के लिए और बढ़ाया जा

सकेगा, मुख्य रूप से यही तीन प्रावधान महोदय, इस विधेयक के माध्यम से हम करना चाहते हैं, सरकार करना चाहती है और चूंकि तीनों प्रावधान उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं इसलिए हम सदन से दरख्वास्त करते हैं कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव हुआ ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री ऋषि कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डश: लेता हूं । खण्ड-2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो ।"

महोदय, आपने देखा है कि बहुत ही छोटा एक खंड का यह विधेयक है और उसमें जो इसके पहले दो विधेयकों की स्वीकृति सदन ने दी है बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों में और पटना विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों में जो प्रधानाचार्य की नियुक्ति में शिक्षक की परिभाषा से प्रधानाचार्य बाहर छूट गये थे उनको

हमने शिक्षक की परिभाषा के दायरे में लाया है और इसलिए लाया है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग सही तरीके से उनकी नियुक्ति कर सकें ।

...क्रमशः...

टर्न–14/राजेश/23.3.21

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उसी से संबंधित यह संशोधन विधेयक बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का है । जैसे हमने वहाँ के शिक्षक के परिभाषा के दायरे में प्रधानाचार्य को लाया है विश्वविद्यालय सेवा आयोग के विधेयक में भी, उनके एक्ट में संशोधन करके शिक्षक के साथ प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए भी उनको अधिकार दिया जा रहा है, इसलिए यह भी जो पीछे के विधेयकों में हमने कहा, उच्चतर शिक्षा के लिए पारदर्शी तरीके से प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए यह आवश्यक है, इसलिए मैं सदन से अपील करता हूँ कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है किः

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

‘‘बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

‘‘बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।’’

अध्यक्ष : इस पर जनमत जानने का प्रस्ताव आया है । माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

इसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ । खण्ड-2 में 4 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-3 में 1 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-4 में 1 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-5 में 1 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''खण्ड-5 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-6 में 1 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''खण्ड-6 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-7, 8, 9 एवं 10 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''खण्ड-7, 8, 9 एवं 10 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-7, 8, 9 एवं 10 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"नाम इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021" स्वीकृत हो ।

अध्यक्ष महोदय, विधेयक के माध्यम से राज्य की कई पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के अंश और कई पंचायतों को जोड़ने का काम नगर निगम में किया गया, नगर निकाय बनाने का काम किया गया, तो इसके चलते इस विधेयक का पुनर्गठन करने का काम किया गया, क्योंकि पंचायत से नगर निकाय की स्थापना की गई और लगभग 100 से अधिक निकाय पूरे बिहार में स्थापित किये गये क्योंकि इसके माध्यम से मूलत: दो-तीन चीजों को सॉर्ट में ही अपनी बातों को रखेंगे कि नगर निकाय में जाने के बाद कई पंचायते छोटे हो गये और छोटे होने के बाद 1991 की जनगणना के हिसाब से, यदि तीन हजार की आबादी उस पंचायत में रह गया, तो वैसी स्थिति में उस पंचायत का अस्तित्व पूरी तरह रहेगा और वह पंचायत बना रहेगा, लेकिन यदि तीन हजार की आबादी से कम है, तो वैसी स्थिति में उस पंचायत को बगल वाले पंचायत में

सम्मिलित करने का काम किया जायेगा, क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया था 1993 में, जो आदेश संख्या: 5608, दिनांक 15.10.1993 में प्रावधान किया गया था कि इसमें पुनर्गठन का भी प्रस्ताव दिया गया था कि जो अधिक आबादी वाला गांव होगा, उसके नाम से जो राजस्व गांव, यदि उसके साथ ही नगर में चले गये हैं, तो नगर के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है, उसमें यदि राजस्व गांव नहीं भी हो, तो सबसे बड़ी जो आबादी होगी, उस आबादी के नाम से वह पंचायत जाना जायेगा और दूसरा, जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब 2005 में बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार बनी, तो आरक्षण की व्यवस्था 2006 में किया गया और उसके पहले पंचायती राज में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इस प्रावधान के बाद नगर निकाय में पंचायतें गई, तो आरक्षण के रोस्टर में भी प्रॉबलम होगा, क्योंकि दो बार लगातार दस साल के लिए पंचायत की व्यवस्था की गई है कि रोस्टर वही रहेगा, तो हमलोग इस माध्यम से यह तय करने जा रहे हैं कि जो पुराना आरक्षण है, वही लागू रहेगा, कोई आरक्षण में छेड़-छाड़ नहीं किया जायेगा, कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई जायेगी, जो पुराने आरक्षण के रोस्टर हैं, उसी रोस्टर को आगे बढ़ाने का भी काम किया जायेगा । तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आबादी के हिसाब से चीजों को स्थापित करने का काम किया गया और आरक्षण के बिना संबद्ध नहीं है, हम सभी लोगों के साथ न्याय कर सकेंगे,ये सारी व्यवस्था उसमें की गई है । मूलत: दो ही चीज इसमें प्रमुखता के साथ लिया गया है, एक तो है कि जो पंचायत बच जायेंगे, उसकी क्या व्यवस्था होगी और दूसरा जो आरक्षण की व्यवस्था है, वह पूरी तरह स्थापित रहेगी । अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि जो ''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021'' है, इसको स्वीकृत करने की कृपा की जाय ।

टर्न-15/सत्येन्द्र/ 23-03-21

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"बिहार पंचायत राज(संशोधन)विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार पंचायत राज (संशोधन)विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बिहार विधान-सभा में आज विपक्ष द्वारा अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित किया गया । इस तरह का हिंसक व्यवहार कभी नहीं हुआ । हम भी एक दशक से ऊपर सदन के सदस्य रहे । पूर्व में भी राष्ट्रीय जनता दल ने सदन में रात भर धरना दिया था परंतु उस समय परिपक्व नेतृत्व था इसलिए ऐसी हिंसक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी । आज अपरिपक्व नेतृत्व रहने के कारण विचार विमर्श के केन्द्र सर्वोच्च सदन को कुरूक्षेत्र की तरह बनाने की कोशिश की गयी । विपक्ष के माननीय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य माननीय सदस्यों ने यदि धैर्य का परिचय नहीं दिया होता तो आज न जाने क्या अनहोनी घटना घटित होता ।

उल्लेखनीय है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 में विपक्ष द्वारा कुल 33 संशोधन प्रस्तुत किया गया परन्तु उस पर विपक्ष द्वारा चर्चा नहीं करायी गयी । हमने अवसर भी दिया बात रखने का, वाद-विवाद में भागीदारी करने का, विमर्श करने का, विमर्श के बाद उनको अवसर भी मिलता लेकिन इससे हटकर अलोकतांत्रिक ढंग से जिस तरह से कार्य किया गया यह घोर निन्दनीय है ।

बिहार विधान-सभा के अध्यक्ष निष्पक्षता से सदन का संचालन करते हैं । सरकार विधेयक लाती है और विपक्ष उस पर विभिन्न प्रकार के संशोधन प्रस्तुत कर अपना विरोध प्रकट करती है । इसमें अध्यक्ष की भूमिका केवल सुव्यवस्थित सभा संचालन की रहती है परंतु अध्यक्षीय कक्ष के तीनों दरवाजों को जिस तरह से आलमीरा लगाकर, रस्सी बांधकर तथा धरना पर बैठकर बंद कर दिया गया उससे लगा कि विपक्ष के निशाने पर अध्यक्ष हैं । विपक्ष की यह कार्रवाई अच्छी नहीं कही जा सकती है । यह घटना पुन: नहीं दोहरायी जाय बहुत गंभीरता के साथ आसन इसको लेगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, विपक्ष की यह कार्रवाई निन्दनीय है, मेरा आपसे अनुरोध है निन्दनीय शब्द इस्तेमाल किया जाय ।

अध्यक्ष: मैंने बोला है घोर निन्दनीय है, सिर्फ निन्दनीय नहीं घोर निन्दनीय है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, आपने आसन से जो अभी भावना व्यक्त की है कि आज सदन में जो कुछ बातें हुईं या जो घटनाएं घटी, सच पूछते हैं तो वह सिर्फ दुर्घटना नहीं थी बल्कि इस सदन को शर्मसार करने वाली घटना थी । महोदय, ये आसन के प्रति जो असम्मान प्रकट किया गया, सदन की मर्यादा को जो तार-तार किया गया है, आपने महोदय कहा कि आप भी इतने दिनों से सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये जितने दिनों से सदस्य है महोदय, हमलोग भी करीब 38-39 वर्षों से इस सदन के सदस्य हैं और आजतक महोदय इस तरह की बात सदन में कभी किसी रूप में नहीं देखी गयी थी । महोदय, हमलोगों ने देखा था जननायक कर्पूरी जी जैसे यहां पर विपक्ष के नेता थे, वे रात भर धरने पर भी बैठे थे उनको भी बाहर किया गया था लेकिन कभी चाहे आसन की, चाहे सदन की मर्यादा का रति भर हनन नहीं होता था । एक वह भी तरीका था और एक आज भी हुआ है और महोदय, आज तो लगता था जैसे बात कहने को कुछ है, पहले से ही लोग संकल्पित थे कि सदन की मर्यादा और आसन की मर्यादा को वह किसी हाल में सुरक्षित नहीं रहने देना चाहते थे । ये तो अशोभनीय नहीं है, इस तरह का आचरण तो महोदय सुना ही नहीं गया है प्रजातंत्र में । ये तो संवाद की जगह है , विमर्श की जगह है, सरकार कह रही थी, आप कह रहे थे, पूरा विधेयक सामने था, अभी सारे उसके खंड खंड पर बात हुई है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी तब पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत, पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत जिस तरह से पूरे सदन और आसन की मर्यादा का हनन किया गया है, महोदय आपने जो भावना व्यक्त की है, सरकार और हम समझते हैं जितने भी संवेदनशील और जिम्मेदार सदस्य होंगे इस सदन के, सभी की भावना आसन की भावना के साथ है । आप जो भी कदम उठायेंगे महोदय, उसमें सदन की सहमति है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज सभा की बैठक समाप्ति के उपरांत विधान-सभा परिसर में रात्रि भोज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है । सभी माननीय सदस्यगण, नेता

विरोधी दल, सभी दल के माननीय सदस्यगण तथा मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण सहित मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण सादर आमंत्रित हैं । माँ शारदा भवानी की कृपा से सबको सदबुद्धि हो इसी कामना के साथ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 23 मार्च 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 63 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार 24 मार्च, 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।